

N.O. W/D

प्रेषक,

उपायुक्त, गुरुग्राम।

सेवा में

M/s Nowara Realty LLP,
Unit FF C-28, Greenwood City, Sector-45,
Gurugram-122003.

क्रमांक 66

/एम0बी0

दिनांक 25/7/2025

विषय:-

Report regarding Aravali for Kh. No. 46//3, 4, 7/1, 7/2, 8, 9/1/1, 9/1/2, 11/2, 12, 13, 14/1, 14/2, 15, situated in the revenue estate of Village Farrukhnagar, Teshil Farrukhnagar, District Gurugram.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषयाधीन मामले में उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, फरुखनगर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम से रिपोर्ट प्राप्त की गई जो निम्न प्रकार है:-

तहसीलदार, फरुखनगर ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 1934/ओ0के0 दिनांक 08.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें लिखा है कि मौजा फरुखनगर तहसील जिला गुरुग्राम के मु0 नं0 46 किला नं0 3(8-0), 4(8-0), 7/1(4-0), 7/2(3-11), 8(7-11), 9/1/1(1-6), 9/1/2(2-10), मु0 नं0 46 किला नं0 11/2(3-17), 12(8-0), 13(8-0), 14/1(6-0), 14/2(2-0), 15(8-0), किता 13 रकबा 70 कनाल 15 मरला की मांगी गई रिपोर्ट बिन्दुवार इस प्रकार से है:-

1. प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त रकबा दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन अनुसार अरावली क्षेत्र में नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र में वर्णित अराजी उपरोक्त किला नं0 दिनांक 07.05.1992 के नोटिफिकेशन से पूर्व व उसके पश्चात मिसल हकीयत/चकबन्दी ताहाल कभी भी अराजी जरई कि किस्म गैर मुमकिन पहाड, गैर मुमकिन राडा, गैर मुमकिन बीहड- बंजड बीहड या रून्द्र नहीं रही है।
3. दिनांक 07.05.1992 के अनुसार नोटिफिकेशन से पहले भूमि की किस्म भूड व मगदा चाही रही है और नोटिफिकेशन के बाद भूमि उपरोक्त कि किस्म चाही है।
4. प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त किला नं0 अराजी जरई मिसल हकीयत/चकबन्दी ताहाल तक कभी भी शामलात देह/पंचायत देह/ नगरपालिका/नगरनिगम की मलकियत नहीं रही है।
5. प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त किला पर जमाबन्दी साल 2021-22 के खाना कैफियत में कोर्ट केस का कोई भी इन्द्राज दर्ज नहीं है।
6. प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त नम्बरान खसरा अराजी जरई NCZ (National Conservation Zone) SEZ (Special Economical Zone) में नहीं आता है।
7. प्रार्थना पत्र में वर्णित उपरोक्त नम्बर खसरा किला नम्बरान पर धारा 4 व 6 व अवार्ड का जमाबन्दी के खाना कैफियत में इन्द्राज दर्ज नहीं है।
8. प्रार्थना पत्र में वर्णित मु0 नं0 46 किला नं0 9/1/2(2-0), 11/2(3-17), 12(8-0), 13(8-0), 14/1(6-0), किता 5 रकबा 28 कनाल 7 मरला जमाबन्दी साल 2021-22 खेवट नं0 687 व जमाबन्दी साल 2021-22 की खेवटों व 911 के किला नं 14/2(2-0), 15(8-0), किता 2 रकबा 10 कनाल 0 मरला दोनों खेवटों की मलकियत श्रीमति सुदेश पत्नी राजेन्द्र पुत्र जयदेव के नाम पर दर्ज है व जमाबन्दी साल 2021-22 की खेवट नं0 688 के किला नं0 3(8-0), 4(8-0), 7/1(4-0), 7/2(3-11), 8(7-11), 9/1/1(1-6), किता 6 रकबा 32 कनाल 8 मरला की बरूवे इन्तकाल नं0 23064 व जमाबन्दी से अनिल कुमार जैन पुत्र महेन्द्र कुमार जैन सालम का मालिक दर्ज है।

उप वन संरक्षक, गुरुग्राम ने अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 255-G दिनांक 16.05.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके कार्यालय द्वारा दिनांक 24.09.2024 को (M/s Nowara Realty LLP) को गांव फरुखनगर, जिला गुरुग्राम के 8.8437 Acre एरिया की फारेस्ट क्लेरिफिकेशन निम्नलिखित शर्त अनुसार जारी की गई है:- 1. As the tree felling is involved hence permission of tree felling also be obtained. 2. Approval also be obtained from the Forest Department for FCA approach/access from

the Forest Department before use of forest land for access. जिसमें लिखा है कि Applicant Sh. Manoj Kumar, having Rectangle No./Murba No./Killa No. 46/3(8-0), 4(8-0), 7/1(4-0), 7/2(3-11), 8(7-11), 9/1/1(1-6), 9/1/2(2-10), 11/2(3-17), 12(8-0), 13(8-0), 14/1(6-0), 14/2(2-0), 15(8-0) Total Land Measuring 8.8437 (Acre) In The Revenue Estate Of Village Farrukhnagar, Tehsil Farrukhnagar, District Gurugram made a proposal to use this land NOC for Group Housing Colony. It is made clear that:-

- a) As per records available above said land is not part of notified Reserved Forest, protected Forest under Indian Forest Act, 1927 or any area closed under section 4 of Punjab Land Preservation Act 1900.
- b) It is clarified that by the Notification No. S.O 8/P.A 2/1900/S. 4/2013 dated 04-01-13 all Revenue Estate of Gurugram is notified u/s 4 of PLPA 1900 and S.O 81/PA.2/1900/S.3/2012 u/s 3 of PLPA 1900. The area is however not recorded as Forest in the Government record but felling of any tree is strictly prohibited without the permission of Divisional Forest officer, Gurugram.
- c) If approach is required from Protected Forest by the user agency, the clearance/regularization under Forest Conservation Act 1980 will be required. Without prior clearance from Forest Department, the use of Forest land for approach road is strictly prohibited. **M/s Nowara Realty LLP** whose land is located at **Village Farrukhnagar, District Gurugram** must obtain clearance as applicable under Forest Conservation Act. 1980.
- d) As per the records available with the Forest Department Gurugram the area does not fall in areas where plantations were raised by the Forest Department under Aravali project.
- e) All other statutory clearances mandated under the Environment protection Act. 1986, as per the notification of Ministry of Environment and Forest, Government of India dated 07-05-1992 or any other Act/Order shall be obtained as applicable by the project proponents from the concerned authorities.
- f) The project proponent will not violate any Judicial Order/Direction issued by the Hon'ble Supreme Court/High Courts.
- g) It is clarified that the Hon'ble Supreme Court has issued various judgments dated 07-05-2002, 29-10-2002, 16-12-2002, 18-03-2004, 14-05-2008 etc. pertaining to Aravali region in Haryana, which should be complied with.
- h) It shall be the responsibility of user agency/applicant to get necessary clearances/permissions under various Acts and Rules applicable if any, from the respective authorities/department.
- i) This certificate is not applicable in case of Environment Department notification dated 10.03.2016 for Screening Plant, and notification dated 11.05.2016 for Stone Crusher. Investor/Applicant has to take clearance from Environment Department in case of Screening Plant and Stone Crusher.

It is subject to the following conditions:

1. Clarification Is Hereby Issued Subject To The Conditions Mentioned Above.

अतः तहसीलदार, फरुखनगर व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में वर्णित शर्तों अनुसार आपको Village Farrukhnagar, District Gurugram के कीला नम्बरान की Aravalli Clearance/Non Forest Land रिपोर्ट इस शर्त पर जारी की जाती है कि प्रार्थी/कम्पनी को दी गई एन0ओ0सी में यदि किसी नम्बरों पर हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग द्वारा किसी प्रकार की भूमि अर्जन कार्यवाही धारा 4, 6 व अर्वाड आदि राजस्व रिकार्ड अनुसार पाया गया तो सम्बन्धित नम्बरों की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी। जिसके लिए प्रार्थी/कम्पनी स्वयं जिम्मेवार होगी। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/कम्पनी वर्णित भूमि पर कोई भी परियोजना शुरू करने से पूर्व उप वन संरक्षक, गुरुग्राम की रिपोर्ट में दर्शाई गई शर्त अनुसार Competent Authority से अनुमति लेकर इस कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा सम्बन्धित कीला नम्बरान की अरावली एन0ओ0सी0 स्वतः रद्द समझी जावेगी।

कृते: उपायुक्त, गुरुग्राम।